न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2024	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण बनाम ईसरा, मूल्या पि. लालू किस्म मुकदमा : रेफरेन्स मु0नं0 16/2019 राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 मूल्या पुत्र लालू जाति माली निवासी रजवास की मृत्यु हो चुकी है। पूर्व में रेफरेन्स प्रकरण संख्या 118/2015 उनवानी सरकार बनाम ईसरा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2018 के अनुसार प्रकरण तहसीलदार दौसा हाल तहसीलदार लवाण को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया था कि अप्रार्थीगण की मृत्यु या अन्य कारण से प्रकरण में कोई परिवर्तन हो तो रेफरेन्स नये सिरे से तैयार कर अपेक्षित दस्तावेजात सहित न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 मूल्या पुत्र लालू जाति माली की मृत्यु होना अवगत कराया गया है। परन्तु तहसीलदार लवाण द्वारा प्रकरण में संशोधित टाइटल पेश नहीं कर मृत व्यक्ति के विरूद्ध ही रेफरेन्स प्रकरण न्यायालय में पेश कर दिया गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध रेफरेन्स चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली लौटाकर प्रकरण तहसीलदार लवाण को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन कर मृतक अप्रार्थी संख्या 2 मूल्या पुत्र लालू जाति माली के वारिसान की जांच कर एवं अन्य अप्रार्थीगण के सम्बन्ध में भी आवश्यक जांच कर संशोधित टाइटल, तलबी हेतु पूर्ण पता एवं रेफरेन्स पेश किये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स नये सिरे से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर ,दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2025.02.03 11:12:02 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official